न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **42/2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी जी – 37, रीको 4 फेज, पुर रोड भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 16-9-.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 19.08.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 48 एफ 371663 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 13.07.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 25.08.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/525 दिनांक 09.09.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा ने निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 02 तक में चाही गयी सूचना/जवाब बिन्दुवार, सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक/422 दिनांक 06.08.2020 द्वारा जरिये वाहक स्तर पर भिजवायी गयी हैं।

अपीलार्थी ने उक्त सूचना के संबंध में आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र में की गयी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/525 दिनांक 09.09.2020 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना मांग के अनुसार कार्यालय स्तर पर संधारित नही होने से एवं वांछित सूचना लोक प्राधिकारी के साधनों का अननुपातिक रूप से अपयोजन करती हैं जिससे वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं हैं। इस बाबत् अपीलार्थी को सूचना जरिये वाहक स्तर पर भिजवायी गयी है।

अतएव उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 16-9.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर भीलवाड़ा